अपील सूचना अधिकार संख्या 43/2017 अनवानी श्री प्रेमकुमार पुत्र श्री खेताराम जाति ब्राम्हण निवासी गांव नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ बनाम उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

24.05.2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री प्रेमकुमार उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ का प्रतिवेदन सं0 274 दिनांक 22.05.2017 शामिल किया गया। अपीलार्थी श्री प्रेमप्रकाश को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 25.01.2017 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ से उनके कार्यालय में कार्यरत श्री पन्नालाल कार्यालय सहायक की सेवा पुस्तिका की प्रमाणित प्रति चाही थी जो उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री प्रेमकुमार ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 25.01.2017 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ से निम्न सूचनां चाही थीः–

> पन्नालाल कार्यालय सहायक उपखण्ड कार्यालय सूरतगढ में कार्यरत की सेवा पुस्तिाका की प्रमाणित प्रति नकल।

अपीलार्थी के अपील पत्र के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, सरूतगढ द्वारा प्रतिवेदन सं0 274 दिनांक 22.05.17 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का सूचना अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 02.02.17 को प्राप्त हुआ है जिसका प्रत्युतर प्रार्थी को पत्र क्रमांक 81 दिनांक 08.02.17 लिखा जाकर जानकारी चाही गई थी पुनः स्मरण पत्र सं0 167 दिनांक 28.03.17 लिखे जाने पर पर भी प्रार्थी द्वारा जानकारी उपलब्ध नही करवाई गई है। अपूर्ण जानकारी के आधार पर सूचना दिया जाना संभव नही है। प्रार्थी का प्रा0 पत्र अभी प्रकिया में है। इसलिए अपीलार्थी की अपील अपरिपक्व होने के आधार खारिज की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ द्वारा अपने पत्र संख्या 81 दिनांक 23.02.2017 के द्वारा अपीलार्थी को निम्न प्रकार से सूचित किया गया हैः–

> उक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा ''पन्नालाल कार्यालय सहायक, उपखण्ड कार्यालय सूरतगढ में कार्यरत की सेवा पुस्तिका की प्रमाणित प्रति की नकल'' चाही गई है। श्री पन्नालाल कार्यालय सहायक वर्तमान में इस कार्यालय में कार्यरत नही है तथा आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उक्त कर्मचारी कब इस कार्यालय में कार्यरत रहा संबंधी अंकन नही है। पूर्ण विवरण के अभाव में सूचना दिया जाना संभव नही है
> अतः उपरोक्तानुसार अपेक्षित पूर्ण विवरण उपलब्ध करावें ताकि तदनुसार सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

चूंकि अपीलार्थी ने श्री पन्नालाल कार्यालय सहायक की सेवा पुस्तिका की प्रमाणित प्रति चाही है। उक्त सूचना के संबंध उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के पत्र दिनांक 08.02.17 व 28.03.17 के द्वारा आवेदक को सूचित किया है कि उक्त कर्मचारी उनके कार्यालय में कब से कब तक कार्यरत रहा है की सूचना उपलब्ध करावे। पत्र 28.03.17 के अनुसार पन्नालाल गत 12 वर्षो से उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के कार्यालय में कार्यरत होना नही पाया गया। अपीलार्थी को आदेशित किया गया कि वह पन्नालाल के कार्यकाल का लोक सूचना अधिकारी को विवरण देवे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि चाही गई सूचना तृतीय पक्ष की निजि सूचना है और ऐसी सूचनांओ पर तृतीय पक्ष को भी सुना जाना आवश्यक होता है। इसलिए यह मामला लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि यदि अपीलार्थी पन्नालाल के कार्यकाल का विवरण पेश कर दे तो उसके द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में नियमानुसार तृतीय पक्ष को सुनकर सूचना उपलब्ध करवाये जाने व न करवाये जाने के संबंध में नियमानुसार निर्णय लिया जावे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर उक्त निदेशानुसार मामला लोक सूचना अधिकारी एवं उपखपण्ड अधिकारी, सूरतगढ को रिमाण्ड किया जाता है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 24.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञानाराम

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर